

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक 26 फरवरी, 2020

संख्या : 1/सी0-1024/2014-सा0प्र0-2919/श्रीमती पलका साहनी, भा0प्र0से0(बी एच : 2004), जो सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-8(6) के तहत दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-वेतनमान लेवल-14-रु.1,44,200- 2,18,200/-) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।


संख्या : 1/सी0-1024/2014-सा0प्र0-2920/श्री आर0 लक्ष्मणन, भा0प्र0से0(बी एच : 2004), जो सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, को भारतीय प्रशासनिक सेवा(वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-8(6) के तहत दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-वेतनमान लेवल-14-रु.1,44,200- 2,18,200/-) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

संख्या : 1/सी0-1024/2014-सा0प्र0-2921/ श्री कुन्दन कुमार, भा0प्र0से0(बी एच : 2004), जो सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-8(6) के तहत दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-वेतनमान लेवल-14-रु.1,44,200- 2,18,200/-) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

संख्या : 1/सी0-1024/2014-सा0प्र0-2922/ श्री अभय कुमार सिंह, भा0प्र0से0(बी एच : 2004), जो सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-8(6) के तहत दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-वेतनमान लेवल-14-रु.1,44,200- 2,18,200/-) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती पलका साहनी, श्री कुन्दन कुमार एवं श्री अभय कुमार सिंह को इस शर्त के साथ सचिव स्तर में प्रोन्नति दी गयी है कि आगामी सत्र में स्थान मिलने पर आलोच्य प्रशिक्षण (अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-IV, जो सचिव स्तर की प्रोन्नति की पात्रता की नियत शर्तों में से एक है) को अवश्य पूरा कर लेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


26.2.2020
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक: /सी0-1024/2014-सा0प्र0-2922/पटना-15, दिनांक: 26 फरवरी, 2020


प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा-आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नयी दिल्ली/संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,

भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/श्रीमती पलका साहनी, भा0प्र0से0(बी एच : 2004), कार्यपालक निदेशक, विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/ श्री आर0 लक्ष्मणन, भा0प्र0से0(बी एच:2004), कार्यपालक निदेशक, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली/ श्री कुन्दन कुमार, भा0प्र0से0 (बी एच:2004), माननीय केन्द्रीय रक्षा मंत्री के आप्त सचिव, 105, साउथ ब्लॉक, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली-110011/ श्री अभय कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (बी एच:2004), माननीय केन्द्रीय संचार मंत्री के आप्त सचिव, संचार भवन 20, अशोका रोड, नई दिल्ली-110001/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-1 एवं प्रशाखा-6) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. जिन पदाधिकारियों को सशर्त प्रोन्नति दी गयी है, वे सभी प्रशिक्षण पूर्णता का प्रमाण संबंधित प्राधिकारों को समय पर उपलब्ध करा देंगे ।

3. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:-

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."


26.2.2020

सरकार के अवर सचिव